अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 जनवरी, 2015

का.आ. 203(अ).—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 के उपवाक्य (46) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा उक्त उपवाक्य के प्रयोजन के लिए ''राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद'' (नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस म्यूजियम्स), जो कि संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार के अंतर्गत आने वाला एक स्वायतशासी निकाय है, को उस परिषद को उद्भूत होने वाली विनिर्दिष्ट आय के बारे में अधिसूचित करती है, यथा:—

(क) भारत सरकार से सहायता अनुदान और सब्सिडी के रुप में प्राप्त होने वाली राशि;

(ख) टिकटों की बिक्री से आने वाला शुल्क या अंशदान;

(ग) वैज्ञानिक और शिक्षा परक उद्देश्यों के लिए प्रेक्षागृह और अन्य सार्वजनिक सुविधाओं के प्रयोग के लिए वसूले जाने वाले रख-रखाव प्रभार; और

(घ) निवेश से प्राप्त ब्याज के रुप में अर्जित या व्युत्पन्न आय;

2. यह अधिसूचना निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन प्रभावी रहेगी, कि:- ''नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस म्यूजियम्स''

(क) किसी भी वाणिज्यिक कार्यकलाप में संलग्न नहीं होगा;

(ख) इसके क्रियाकलाप और विनिर्दिष्ट आय का स्वरुप संपूर्ण वित्तीय वर्षों में यथावत रहेंगे;

(ग) यह उक्त अधिनियम की धारा 139 की उपधारा (4ग) के उपवाक्य (च) के उपबंध के अनुसार अपनी आयकर विवरणी दायर करेगा।

3. यह अधिसूचना वित्तीय वर्ष 2012-13 से 2016-17 तक लागू रहेगी।

[अधिसूचना संख्या 8/2015/फा.सं. 196/1/2013-आ.का नि-I]

दीपशिखा शर्मा, निदेशक